सीबीएसई/समन्वय/आईपीएस/2022/ई-100431 दिनांक: 25.03.2022

सीबीएसई से संबद्ध स्कूलों के
प्रधानाचार्य/ प्रमुख
(सीबीएसई वेबसाइट के माध्यम से)

विषय: परीक्षा-2022 संबंधी भुगतान निर्गत करने के संबंध में

महोदया/महोदय,

परीक्षा 2022 के लिए, बोर्ड ने एकीकृत भुगतान प्रणाली (आईपीएस) द्वारा भुगतान किए थे। तथापि, अनुदेशों का अनुपालन न होने के कारण निम्नलिखित गतिविधियों में सम्पूर्ण भुगतान जारी नहीं किया जा सका :-

1. प्रैक्टिकल/ परियोजना आकलन -2022 का भुगतान
2. मुख्य नोडल पर्यवेक्षक-2022 (मूल्यांकन दल) का भुगतान

जहां आईपीएस के माध्यम से भुगतान प्रक्रिया में नहीं लाया जा सका /निर्गत नहीं हो सका, उसका विवरण इस प्रकार है-

1. कुछ विषयों में, परीक्षक सीबीएसई द्वारा नियुक्त किए गए थे, तथापि, स्कूलों ने आबंटित स्कूल कोड के बजाय गलती से 99999 भर दिया था। इन विषयों में, प्रणाली में बैच-आईडी जेनरेट नहीं हो सकी। अत: स्कूल विवरण प्रस्तुत नहीं कर सके और भुगतान प्रक्रियागत नही किया जा सका।
2. कुछ सीएनएस को, अतिरिक्त उत्तर पुस्तिका आकलन के लिए आबंटित की गई थी। ये उत्तर पुस्तिका, वास्तविक आबंटित उत्तर पुस्तिकाओं से अतिरिक्त थी। एक मानक पद्धति के अनुसार, मूल्यांकन लगभग 10 से 12 दिनों का रहा था। इन मामलों में, अतिरिक्त उत्तर पुस्तिकाओं और बढ़े हुए दिनों आदि का विवरण स्वीकार नहीं किया गया था और भुगतान प्रक्रियागत नही किया जा सका।
3. कुछ मामलों में, केंद्र अधीक्षकों को बाहर शहरों से तैनाती किया गया था। इन केंद्र अधीक्षकों के टीए/डीए का आईपीएस के माध्यम से प्रसंस्करण नहीं हो सका था।
4. कुछ और भी ऐसे मामलें हो सकते हैं, जहां आईपीएस के माध्यम से भुगतान का प्रसंस्करण नहीं किया जा सका था।

जारी..../-

इसलिए यह निर्णय लिया गया कि उपर्युक्त भुगतान ऑफलाइन तरीके से संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा जारी किया जाएगा।

उपर्युक्त चार श्रेणियों (1,2,3,एवं 4) के अंतर्गत आने वाले स्कूल/कर्मचारी अपने बिल भुगतान निर्गत करने हेतु इस परिपत्र के जारी होने की तिथि से दो माह के भीतर अर्थात 24.05.2023 तक संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों को भेजेंगे।

इसी तरह, श्रेणी 5 के मामले में, स्कूल कंपार्टमेंट परीक्षा- 2022 के लिए केंद्र प्रभारों और उत्तर पुस्तिकाओ के मूल्यांकन हेतु अपने बिल भुगतान निर्गत करने हेतु इस परिपत्र के जारी होने की तिथि से दो माह के भीतर अर्थात 24.05.2023 तक अपने क्षेत्रीय कार्यालयों को भेजेंगे।

यदि भुगतान का दावा 24.05.2023 तक नहीं किया जाता है, तो उसे जब्त कर लिया जाएगा और बोर्ड द्वारा 2022 के भुगतान निर्गत करने के किसी भी अनुरोध को स्वीकार नहीं किया जाएगा।

यह अनुरोध किया जाता है कि कृपया यह सूचना सभी संबंधितों के ध्यान में लाई जाए ताकि वे अपने स्तर पर आगे की आवश्यक कार्रवाई कर ले।

(डॉ . संयम भारद्वाज)
परीक्षा नियंत्रक

प्रति:-

1. बोर्ड के सभी क्षेत्रीय कार्यालय को इन निर्देशों सहित कि:-
   - क ऊपर दिये अनुदेशों के अनुसार, 24.05.2023 तक भुगतान के अनुरोधों को प्रक्रिया में लाएं व निस्तारित करें। इन भुगतान का प्रसंस्करण करते समय, भुगतान जारी करने से पहले उनकी आईपीएस से स्थिति जांच ली जाए।
   - ख कृपया स्कूल आदि के ध्यान में लाये, यदि वे दावा नहीं कर रहे है ताकि समय सारणी का पालन किया जा सके।
2. निदेशक(आईटी), सीबीएसई, मुख्यालय कार्यालय, दिल्ली को सूचना हेतु
3. आईएएफए, सीबीएसई, मुख्यालय कार्यालय, दिल्ली को सूचना हेतु
4. वेब-प्रशासक को सीबीएसई वेबसाइट पर अपलोड करने के अनुरोध सहित